राजस्थान सरकार

रजिस्टर्ड –पत्र

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

ब्लॉक नं0 4, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जयपुर–302015
Email- cao.cce@rajasthan.gov.in, Ph.- 0141-2703897

क्रमांक : एफ 24(65) लेखा–ए–अनुदान/आकाशि/विधि/10/ दिनांक ....

सुनवाई हेतु नोटिस

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. अवमानना याचिका सं0 146/2012 विद्या प्रचारिणी सभा बनाम श्री भास्कर ए. सावंत व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.10.2016 की पालना में चरणबद्व प्रक्रिया के तहत विभागीय अधिकारियों तथा अवमानना याचिकाओं से सम्बन्धित संस्थाओं की नीचे तालिका में वर्णितानुसार तिथि को आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा कक्ष नं. 432, तृतीय तल, ब्लॉक नं. 4, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में सुनवाई की जावेगी, जिसमें माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार देय मदों के ड्यू–ड्रॉन स्टेटमेन्ट की विभागीय परिपत्र क्रमांक 2049 दिनांक 08.01.2018 में वर्णित 10 बिन्दुओं के अभिलेख/रिकॉर्ड से सत्यापन हेतु प्राप्ति की समीक्षा भी की जावेगी। सम्बन्धित संस्थाओं एवं याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा किये गये दावों के समर्थन में तत्सम्बन्धी मदों के दस्तावेजी प्रमाण की मूल एवं प्रमाणित प्रतियां दावे की पुष्टि हेतु सुनवाई के समय उपलब्ध करावें :–

क्र.सं.	दिनांक व समय	पूर्व अनुदानित महाविद्यालय का नाम एवं अवमानना याचिका संख्या
1.	22.09.2021 व 11:00 AM	विद्या प्रचारिणी सभा, उदयपुर (146/2012) (1. भूपाल नोबल्स, महाविद्यालय, उदयपुर 2. प्रताप शोध प्रतिष्ठान, उदयपुर)

अतः उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार विभागीय अधिकारी, सम्बन्धित संस्थायें तथा याचीगण उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

(हस्ताक्षर) 09/09/2021
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 24(65) लेखा–ए–अनुदान/आकाशि/विधि/10/313-320. दिनांक 09.09.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, निजी संस्थायें, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर सम्बन्धित संस्था को ई–मेल से भी सूचित करावें।
4. संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी. कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
5. उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
6. लेखाधिकारी (अनुदान) उनसे सम्बन्धित संस्था की सूचना याचिकावार अग्रिम रूप से तैयार करवाकर पूर्ण तथ्य सुनवाई के समक्ष प्रस्तुत करावें।
7. सचिव/प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध समिति, विद्या प्रचारिणी सभा, उदयपुर
8. सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार (अनुदान को पालनार्थ)
9. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(हस्ताक्षर)
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Scanned by CamScanner